Dated: 30th March , 2005
9 Chaitra, 1926(Saka)

[Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT of Pondicherry on the basis of 2001 Census]

ORDER NO. 6

Whereas, in pursuance of sections 8, 4 and 2(f) of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 1, dated 8th October, 2004, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8th October, 2004, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the Union Territory of Pondicherry as one (1), of which no seat shall be reserved for the Scheduled Castes and also no seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory as thirty (30), of which five(5) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and no seat for the Scheduled Tribes; and

Whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 5, read with sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the UT with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT; and

Whereas, in pursuance of sub-section (2) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the

Union Territory, in the extraordinary issues of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8th October, 2004 and 8th December, 2004, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 25th October, 2004 and 20th December, 2004 respectively; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission's Order No.1 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 9th October, 2004 and 8th December, 2004 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section(2) of section(9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 8th October, 2004, which was subsequently amended by its revised notices on 1-11-2004, 8-12-2004, 4-1-2005 and 25-1-2005, specifying the venue, date and time of public sittings to consider all objections and suggestions which may be received by it on or before the 25th October, 2004 and 20th December, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Karaikal on 19th March, 2005 and at Pondicherry on the 20th March, 2005 and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

Whereas, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of sub-section 2 of section 9 read with sections 2(f) and 4(2) of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows: -

1. The territorial assembly constituencies into which the Union Territory of Pondicherry shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the Union Territory and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table A.**

2. The extent of territorial parliamentary constituency in respect of the Union Territory of Pondicherry for the purpose of elections to the House of the People shall be as shown in **Table B.**

3. Where the name of a constituency as shown in **Table A** is distinguished by the brackets and letters **"(SC)"** the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

Table - A
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No.	Name of Assembly Constituency	Extent of the Constituency
		1. PONDICHERRY REGION
1	**Mannadipet**	**Mannadipet Commune Panchayat (Part)** - Manalipet, Chettipet, Suthukeny, Pudukuppam, Katteri, Kuppam, Thethampakkam, Kodathur, Kunichampet, Mannadipet and Vadanur
2	**Thirubhuvanai (SC)**	**Mannadipet Commune Panchayat (Part) -** Sorapet, Vambupet, Sellipattu, Sannasikuppam, Kalithirthalkuppam, Madagadipet, Thirubuvanai and Thiruvandarkoil
3	**Oussudu (SC)**	**Villianur Commune Panchayat (Part) -** Sedarapet, Karasur, Thuthipet, Thondamanatham, Ramanathapuram, Pillaiyarkuppam, Koodapakkam, Ulaivaikkal and Oussudu, **Kurumbapet Gram Panchayat(Part)** - Ward Nos.1 to 4
4	**Mangalam**	**Villianur Commune Panchayat (Part) -** Ariyur, Kizhur, Sathamangalam, Mangalam, Uruvaiyar, Thirukanji, Perungalur and Manakuppam, **Kurumbapet Gram Panchayat(Part) -** Ariyapalayam Out Growth, Kottamedu Out Growth and Kanuvapet Out Growth
5	**Villianur**	**Kurumbapet Gram Panchayat(Part) -** Guruvappanaickenpalayam Out Growth, Arasur Out Growth, Sultanpet Out Growth, Villianur Out Growth, Valluvanpet Out Growth, Karayanpet Out Growth, Periapet Out Growth, Uthiravaginipet Out Growth, Attuvaikalpet Out Growth-, Thattanchavady Out Growth, Manavely Out Growth, Arumbarthapuram Out Growth and Odiampet Out Growth **Pondicherry Municipality(Part)-** Ward No.42

6	**Ozhukarai**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.31 to 33 and 37
7	**Kadirgamam**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.25 to 27, 35 and 36
8	**Indira Nagar**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.21 to 24 and 28 to 30
9	**Thattanchavady**	**Ozhukarai Municipality(Part) -** Ward Nos.8, 18 to 20 and 34
10	**Kamraj Nagar**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.13 to 17
11	**Lawspet**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.7, 9 to 11
12	**Kalapet**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 6 and 12
13	**Muthialpet**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 4 and 6 to 8
14	**Raj Bhavan**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.5, 9 to 14 and 16
15	**Oupalam**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.18 to 23
16	**Orleampeth**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.15, 17, 24 to 26, 28 and 32
17	**Nellithope**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.27, 29 to 31, 33 and 34
18	**Mudaliarpet**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.35 to 38 and 40
19	**Ariankuppam**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.39 and 41 **Pondicherry (M+OG) (Part) -** Ariankuppam Out Growth, Kakayantope Out Growth and Periaveerampattinam Out Growth
20	**Manavely**	**Ariankuppam Commune Panchayat -** Manavely, Abishegapakkam, Tavalakuppam, Purnankuppam and Thimmanaickenpalayam
21	**Embalam (SC)**	**Nettapakkam Commune Panchayat (Part)-** Embalam, Korkadu and Karikalampakkam, **Bahour Commune Panchayat (Part)-** Aranganur, Kirumampakkam, Pillaiarkuppam and Seliamedu
22	**Nettapakkam (SC)**	**Nettapakkam Commune Panchayat (Part)-** Madukkarai, Kariamanickam, Eripakkam, Pandasozhanur and Nettapakkam, **Bahour Commune Panchayat (Part)-** Panayadikuppam, Karaiyambuthur and Manamedu
23	**Bahour**	**Bahour Commune Panchayat (Part)-** Irulansandai, Bahour, Outchimedu, Parikalpet, Kuruvinatham, Kaduvanur and Manapattu

2. KARAIKAL REGION

24 Nedungadu (SC)	**Nedungadu Commune Panchayat -** Kurumbagaram, Ponbethy, Puthakudy, Nedungadu and Melakasakudy
	Kottucherry Commune Panchayat - Varichikudy North, Poovam, Thiruvettakudy, Varichikudy South and Kottucherry
25 Thirunallar	**Thirunallar Commune Panchayat -** Ambagarathur, Nallazhundur, Thevamapuram, Sorakudy, Subrayapuram, Keezhavoor, Thirunallar, Thennankudy, Sethur, Sellur and Pettai
26 Karaikal North	**Karaikal Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 5, 8 and 9
27 Karaikal South	**Karaikal Municipality(Part)-** Ward Nos.6, 7 and 10 to 17
28 Neravy- T.R. Pattinam	**Neravy Commune Panchayat -** Vizhidiur, Kizhamanai and Neravy.
	Thirumalairayan Pattinam Commune Panchayat - Thirumalairayanpattinam, Keezhaiyur (North), Keezhaiyur (South), Polagam and Vanjiur, **Karaikal Municipality(Part)-** Ward No.18

3. MAHE REGION

29 Mahe	**Mahe Municipality**

4- YANAM REGION

30 Yanam	**Yanam Municipality**

Table - B

PARLIAMENTARY CONSTITUENCY AND ITS EXTENT

Name of Parliamentary Constituency	Extent of the Constituency
Pondicherry	The entire area of the Union Territory of Pondicherry

NOTE :- Any reference in **Table A** to a Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat (GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG), Ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat (GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG) and Ward or other territorial division as on the 30th day of March, 2005

KULDIP SINGH, CHAIRMAN

B.B. TANDON, MEMBER

R. NARAYANA, MEMBER

TO BE PUBLISHED IN EXTRAORDINARY ISSUE OF THE GAZETTE OF INDIA (PART)II, SECTION 3(iii) DATED 31st March , 2005

TO BE PUBLISHED IN SPECIAL GAZETTE OF THE UNION TERRITORY OF PONDICHERRY DATED 31st March , 2005

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

SHANGARA RAM — Tel.: 011-23052005
SECRETARY — Fax 011-230052006

No. 282/POND/2004-VOL.III **Dated: 31st March , 2005**
10 Chaitra, 1926(Saka)

NOTIFICATION

In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under sub-section (2) of section 9 read with sub-section (2) of section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory of Pondicherry (hereinafter referred to as UT) is hereby published:-

ORDER NO. 6

Whereas, in pursuance of sections 8, 4 and 2(f) of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 1, dated 8th October, 2004, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8th October, 2004, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the Union Territory of Pondicherry as one (1), of which no seat shall be reserved for the Scheduled Castes and also no seat shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the Union Territory as thirty (30), of which five(5) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and no seat for the Scheduled Tribes; and

Whereas, in pursuance of sub-section(1) of section 5, read with sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the UT with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the UT; and

Whereas, in pursuance of sub-section (2) of section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the Union Territory, in the extraordinary issues of the Gazette of India and the Gazette of Pondicherry on 8th October, 2004 and 8th December, 2004, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 25th October, 2004 and 20th December, 2004 respectively; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission's Order No.1 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 9th October, 2004 and 8th December, 2004 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section(2) of section(9) of that Act, the Commission also issued a public notice on 8th October, 2004, which was subsequently amended by its revised notices on 1-11-2004, 8-12-2004, 4-1-2005 and 25-1-2005, specifying the venue, date and time of public sittings to consider all objections and suggestions which may be received by it on or before the 25th October, 2004 and 20th December, 2004; and

Whereas, in pursuance of the said sub-section (2) of section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Karaikal on 19th March, 2005 and at Pondicherry on the 20th March, 2005 and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

Whereas, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

Now, therefore, in pursuance of clause (d) of sub-section 2 of section 9 read with sections 2(f) and 4(2) of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows: -

1. The territorial assembly constituencies into which the Union Territory of Pondicherry shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the Union Territory and the extent of each such constituency shall be as shown in **Table A.**

2. The extent of territorial parliamentary constituency in respect of the Union Territory of Pondicherry for the purpose of elections to the House of the People shall be as shown in **Table B.**

3. Where the name of a constituency as shown in **Table A** is distinguished by the brackets and letters **"(SC)"** the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

Table - A
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

Sl. No.	Name of Assembly Constituency	Extent of the Constituency
		1. PONDICHERRY REGION
1	**Mannadipet**	**Mannadipet Commune Panchayat (Part) -** Manalipet, Chettipet, Suthukeny, Pudukuppam, Katteri, Kuppam, Thethampakkam, Kodathur, Kunichampet, Mannadipet and Vadanur
2	**Thirubhuvanai (SC)**	**Mannadipet Commune Panchayat (Part) -** Sorapet, Vambupet, Sellipattu, Sannasikuppam, Kalithirthalkuppam, Madagadipet, Thirubuvanai and Thiruvandarkoil
3	**Oussudu (SC)**	**Villianur Commune Panchayat (Part) -** Sedarapet, Karasur, Thuthipet, Thondamanatham, Ramanathapuram, Pillaiyarkuppam, Koodapakkam, Ulaivaikkal and Oussudu, **Kurumbapet Gram Panchayat(Part) -** Ward Nos.1 to 4

4	**Mangalam**	**Villianur Commune Panchayat (Part) -** Ariyur, Kizhur, Sathamangalam, Mangalam, Uruvaiyar, Thirukanji, Perungalur and Manakuppam, **Kurumbapet Gram Panchayat(Part) -** Ariyapalayam Out Growth, Kottamedu Out Growth and Kanuvapet Out Growth
5	**Villianur**	**Kurumbapet Gram Panchayat(Part) -** Guruvappanaickenpalayam Out Growth, Arasur Out Growth, Sultanpet Out Growth, Villianur Out Growth, Valluvanpet Out Growth, Karayanpet Out Growth, Periapet Out Growth, Uthiravaginipet Out Growth, Attuvaikalpet Out Growth-, Thattanchavady Out Growth, Manavely Out Growth, Arumbarthapuram Out Growth and Odiampet Out Growth **Pondicherry Municipality(Part)-** Ward No.42
6	**Ozhukarai**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.31 to 33 and 37
7	**Kadirgamam**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.25 to 27, 35 and 36
8	**Indira Nagar**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.21 to 24 and 28 to 30
9	**Thattanchavady**	**Ozhukarai Municipality(Part) -** Ward Nos.8, 18 to 20 and 34
10	**Kamraj Nagar**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.13 to 17
11	**Lawspet**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.7, 9 to 11
12	**Kalapet**	**Ozhukarai Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 6 and 12
13	**Muthialpet**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 4 and 6 to 8
14	**Raj Bhavan**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.5, 9 to 14 and 16
15	**Oupalam**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.18 to 23
16	**Orleampeth**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.15, 17, 24 to 26, 28 and 32
17	**Nellithope**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.27, 29 to 31, 33 and 34
18	**Mudaliarpet**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.35 to 38 and 40
19	**Ariankuppam**	**Pondicherry Municipality(Part)-** Ward Nos.39 and 41 **Pondicherry (M+OG) (Part) -** Ariankuppam Out Growth, Kakayantope Out Growth and Periaveerampattinam Out Growth
20	**Manavely**	**Ariankuppam Commune Panchayat -** Manavely, Abishegapakkam, Tavalakuppam, Purnankuppam and Thimmanaickenpalayam

21	**Embalam (SC)**	**Nettapakkam Commune Panchayat (Part)-** Embalam, Korkadu and Karikalampakkam, **Bahour Commune Panchayat (Part)-** Aranganur, Kirumampakkam, Pillaiarkuppam and Seliamedu
22	**Nettapakkam (SC)**	**Nettapakkam Commune Panchayat (Part)-** Madukkarai, Kariamanickam, Eripakkam, Pandasozhanur and Nettapakkam, **Bahour Commune Panchayat (Part)-** Panayadikuppam, Karaiyambuthur and Manamedu
23	**Bahour**	**Bahour Commune Panchayat (Part)-** Irulansandai, Bahour, Outchimedu, Parikalpet, Kuruvinatham, Kaduvanur and Manapattu

2. KARAIKAL REGION

24	**Nedungadu (SC)**	**Nedungadu Commune Panchayat -** Kurumbagaram, Ponbethy, Puthakudy, Nedungadu and Melakasakudy **Kottucherry Commune Panchayat -** Varichikudy North, Poovam, Thiruvettakudy, Varichikudy South and Kottucherry
25	**Thirunallar**	**Thirunallar Commune Panchayat -** Ambagarathur, Nallazhundur, Thevamapuram, Sorakudy, Subrayapuram, Keezhavoor, Thirunallar, Thennankudy, Sethur, Sellur and Pettai
26	**Karaikal North**	**Karaikal Municipality(Part)-** Ward Nos.1 to 5, 8 and 9
27	**Karaikal South**	**Karaikal Municipality(Part)-** Ward Nos.6, 7 and 10 to 17
28	**Neravy- T.R. Pattinam**	**Neravy Commune Panchayat -** Vizhidiur, Kizhamanai and Neravy. **Thirumalairayan Pattinam Commune Panchayat -** Thirumalairayanpattinam, Keezhaiyur (North), Keezhaiyur (South), Polagam and Vanjiur, **Karaikal Municipality(Part)-** Ward No.18

3. MAHE REGION

29	**Mahe**	**Mahe Municipality**

4- YANAM REGION

30	**Yanam**	**Yanam Municipality**

Table - B

PARLIAMENTARY CONSTITUENCY AND ITS EXTENT

Name of Parliamentary Constituency	Extent of the Constituency
Pondicherry	The entire area of the Union Territory of Pondicherry

NOTE :- Any reference in **Table A** to a Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat (GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG), Ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that Commune Panchayat (CP), Gram Panchayat (GP), Village, Municipality (M), Out Growth (OG) and Ward or other territorial division as on the 30th day of March, 2005

Sd/-

KULDIP SINGH, CHAIRMAN

Sd/-

B.B. TANDON, MEMBER

Sd/-

R. NARAYANA, MEMBER

BY ORDER,

(SHANGARA RAM)
SECRETARY TO THE
DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

दिनांकः– 30 मार्च, 2005
9 चैत्र, 1926 (शक)

आदेश सं0 6

यतः, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8, 4 और 2 (च) के अनुसरण में भारत के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के 8 अक्तूबर, 2004 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने 8 अक्तूबर, 2004 के आदेश सं0 1 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र में लोक सभा के लिए आंबटित किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या एक (1) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या तीस (30) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए पॉच (5) स्थान आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने संघ राज्य–क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ संघ राज्य–क्षेत्र के सह–सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने संघ राज्य–क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझाावों को क्रमशः 25 अक्तूबर, 2004 और 20 दिसम्बर, 2004 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के

असाधारण अंक में 8 अक्तूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की_ और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपवर्णित आदेश सं0 1 और आयोग के संदर्भित प्रारूप प्रस्ताव 9 अक्तूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 अक्तूबर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसे बाद में 1–11– 2004, 8–12–2004, 4–1–2005 तथा 25–1–2005 को परिशोधित नोटिसों द्वारा संशोधित किया गया था । इस सार्वजनिक सूचना में सभी आपत्तियों और सुझावों पर, जो 25 अक्तूबर, 2004 तथा 20 दिसम्बर, 2004 को या उससे पहले प्राप्त किये जा सकते है, विचार करने के लिए, सार्वजनिक बैठकों की तारीख, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 19 मार्च, 2005 को कराइकल में और 20 मार्च, 2005 को पांडिचेरी में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ–साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया गया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने उपर लिखित आम बैठकों में दिये गये अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 **(च)** और 4 (2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) खण्ड **(घ)** के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :–

1. संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।

2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों ß(अ0जा0)Þ द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी–क

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका विस्तार

क्रम सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
		1. पांडिचेरी क्षेत्र
1.	मन्नादीपेट	**मन्नादीपेट कम्यून पंचायत (भाग)**–मनालीपेट, चेटीपेट, सुथुकेनी, पुडुकुप्पम, काट्टेरी, कुप्पम, थेथामपाक्कम,कोडाथुर, कुनिचामपेठ, मन्नादीपेठ और वाडानूर
2.	थिरूभुवानाई (अ0जा0)	**मन्नादीपेट कम्यून पंचायत (भाग)**–सोरापेट, वाम्बुपेट, सेल्लीपट्टू, सनासीकुप्पम, कालीथिराथलकुप्पम, माडागाडीपेट, थिरूभुवनाई और थिरूवन्डारकोइल
3.	औसुडु (अ0जा0)	**विलियानुर कम्यून पंचायत (भाग)**–सेडारपेट, करासूर, थुथिपेट,थोंडामानाथम, रामानाथापुरम, पिल्लाईयार कुप्पम, कुडापाक्कम, उलावाइकल और औसुडु, **कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– 1 से 4
4.	मंगलम	**विलियानुर कम्यून पंचायत (भाग)**–अरियुर, किझूर, साथामंगलम, मंगलम, उरूवाईयार, थिरूकन्जी, पेरूंगालूर और मानाकुप्पम **कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– अरियापालायम बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) कोट्टामेडु बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) और कनुवापेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ)

5.	विलियानुर	**कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– गरूवाप्पानाईकेनपालायम बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, अरासुर बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, सुलतानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, विलियानुर बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, वाल्लुवानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, कारायानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, पेरियापेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, उथिरावागिनिपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, अट्टूवाईकालपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, थाट्टानचावाडी बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, मानावेली बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)**, अरूमबारथापुरम बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)** और ओडियामपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**आउट ग्रोथ**)** **पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 42
6.	ओझुकराई	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**–वार्ड सं0 31 से 33 और 37
7.	कादीरगामाम	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 25 से 27, 35 और 36
8.	इंदिरा नगर	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 21 से 24 और 28 से 30
9.	थट्टानचावाडी	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 8, 18 से 20 और 34
10.	कामराज नगर	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 13 से 17
11.	लासपेट	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 7, 9 से 11
12.	कालापेट	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 1 से 6 और 12
13.	मथियालपेट	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**–वार्ड सं0 1 से 4 और 6 से 8

14.	राजभवन	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 5, 9 से 14 और 16
15.	औपालम	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 18 से 23
16.	ओरलिअमपेट	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 15, 17, 24 से 26, 28 और 32
17.	नेल्लीथोप	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 27, 29 से 31, 33 और 34
18.	मोडलियारपेट	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 35 से 38 और 40
19.	अरियांकुप्पम	**पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 39 और 41 **पांडिचेरी (न0पा0$ बढ़ा हुआ क्षेत्र) (ओ0जी0) (भाग)**– अरियांकुप्पम बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी0), ककायानटोप बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी0), और पेरियावीरामपट्टिनम बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी0)
20.	मानावेली	**अरियांकुप्पम कम्यून पंचायत**–मानावेली, अबिशेगापाक्कम, तावालाकुप्पम, पुरनानकुप्पम और थिम्मानाईकेनपालायम ।
21.	एम्बालम (अ0जा0)	**नेट्टापाक्कम कम्यून पंचायत(भाग)**–एम्बालम, कोरकाडू और करिकालामपक्कम **बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**– अरंगानूर, किरूमाम, पक्कम, पिल्लाईआरकुम्पम और सेलिआमेडु ।
22.	नेट्टापक्कम (अ0जा0)	**नेट्टापक्कम कम्यून पंचायत (भाग)**–मदुक्कराई, करियामानिकम, इरिपक्कम, पांडासोझानुर और नेट्टापक्कम **बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**–पानायाडीकुप्पम, काराईयामबुथुर और मानामेडू ।
23.	बहौर	**बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**–इरूलांसांडी, बहौर, ओटचीमेडू, पारिकालपेट, कुरूविनाथम, काडुवानुर और मनापट्टू ।

2–कराईकल क्षेत्र

24.	नेदुनगाडू (अ0जा0)	**नेदुनगाडू कम्यून पंचायत**–कुरूम्बागराम, पोनबेथी, पुठाकुडी, नेदुनगाडू और मेलाकासाकुडी, **कोट्टुचेरी कम्यून पंचायत**– वारिचिकुडी (उत्तर), पूवम, थिरूवेट्टाकुडी, वारिचिकुडी (दक्षिण) और कोट्टुचेरी ।
25.	तिरूनाल्लार	**तिरूनाल्लार कम्यून पंचायत**–अम्बागाराथुर, नाल्लाझुंडूर, थेवामापुरम, सोराकुडी] सुब्रायापुरम] कीझावूर, तिरूनाल्लार] थेन्नानकुडी, सेथुर, सेल्लूर और पेट्टाई ।
26.	कराईकल उत्तर	**कराईकल नगर पालिका (भाग)**–वार्ड सं0 1 से 5, 8 और 9
27.	कराईकल दक्षिण	**कराईकल नगर पालिका (भाग)**–वार्ड सं0 6, 7 और 10 से 17
28.	नेरावी–टी. आर. पट्टिनाम	**नेरावी कम्यून पंचायत**– विझीदियुर, कीझामानाई और नेरावी **तिरूमालाईरायान पट्टिनाम कम्यून पंचायत**– तिरूमालाईरायान पट्टिनाम, कीझाईयुर (उत्तर), कीझाईयुर (दक्षिण), पोलागम और वनजियुर **कराईकल नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 18

3–माहे क्षेत्र

29.	माहे	माहे नगर पालिका

4– यानाम क्षेत्र

30.	यानाम	यानाम नगर पालिका

<u>सारणी–ख</u>

संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
पंडिचेरी	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र

नोटः– सारणी ^क* में कम्यून पंचायत (सी0पी0), ग्राम पंचायत (जी0पी0), ग्राम, नगर पालिका (एम0), बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी) वार्ड अथवा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी भी संदर्भ का अभिप्राय उस कम्यून पंचायत (एम0), ग्राम पंचायत (जी0पी0), ग्राम, नगर पालिका (एम0), बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी0), तथा वार्ड अथवा अन्य प्रादेशिक विभाजन के अन्तर्गत मार्च मास के 30 वें दिन को सम्मिलित क्षेत्र माना जाएगा ।

कुलदीप सिंह, अध्यक्ष

बी0बी0 टण्डन, सदस्य

आर0 नारायन, सदस्य

भारत के राजपत्र, भाग– II, खण्ड–3(iii) के असाधारण अंक में तारीख 31 मार्च, 2005, को प्रकाशनार्थ ।

संघ राज्य–क्षेत्र पाण्डिचेरी के विशेष राजपत्र में तारीख 31 मार्च, 2005 को प्रकाशनार्थ ।

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

शंगारा राम — फोन 011–23052005

सचिव — फैक्स 011–23052006

सं0 282/पांडि0/2004 खण्ड– III — दिनांकः– 31 मार्च, 2005

10 चैत्र, 1926 (शक)

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यहां पर संघ राज्य–क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते है :–

आदेश सं0 6

यतः, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8, 4 और 2 (च) के अनुसरण में भारत के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के 8 अक्तूबर, 2004 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपने 8 अक्तूबर, 2004 के आदेश सं0 1 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र में लोक सभा के लिए आंबटित किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या एक (1) होगी जिसमें से कोई भी स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या तीस (30) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए पॉच (5)

स्थान आरक्षित किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने संघ राज्य–क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ संघ राज्य–क्षेत्र के सह–सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने संघ राज्य–क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझाावों को क्रमशः 25 अक्तूबर, 2004 और 20 दिसम्बर, 2004 तक आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के राजपत्र और पांडिचेरी के राजपत्र के असाधारण अंक में 8 अक्तूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की_ और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपवर्णित आदेश सं0 1 और आयोग के संदर्भित प्रारूप प्रस्ताव 9 अक्तूबर, 2004 और 8 दिसम्बर, 2004 को स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 अक्तूबर, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसे बाद में 1–11– 2004, 8–12–2004, 4–1–2005 तथा 25–1–2005 को परिशोधित नोटिसों द्वारा संशोधित किया गया था । इस सार्वजनिक सूचना में सभी आपत्तियों और सुझावों पर, जो 25 अक्तूबर, 2004 तथा 20 दिसम्बर, 2004 को या उससे पहले प्राप्त किये जा सकते है, विचार करने के लिए, सार्वजनिक बैठकों की तारीख, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 19 मार्च, 2005 को कराइकल में और 20 मार्च, 2005 को पांडिचेरी में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को

पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ–साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया गया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने उपर लिखित आम बैठकों में दिये गये अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः, अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 **(च)** और 4 (2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) खण्ड **(घ)** के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :–

1. संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।

2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार, सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों ß(अ0जा0)Þ द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी–क

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका विस्तार

क्रम सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
		1. पांडिचेरी क्षेत्र
1.	मन्नादीपेट	**मन्नादीपेट कम्यून पंचायत (भाग)**–मनालीपेट, चेटीपेट, सुथुकेनी, पुडुकुप्पम, काट्टेरी, कुप्पम, थेथामपाक्कम,कोडाथुर, कुनिचामपेठ, मन्नादीपेठ और वाडानूर

2.	थिरूभुवानाई (अ0जा0)	**मन्नादीपेट कम्यून पंचायत (भाग)**–सोरापेट, वाम्बुपेट, सेल्लीपट्टू, सनासीकुप्पम, कालीथिराथलकुप्पम, माडागाडीपेट, थिरूभुवनाई और थिरूवन्डारकोइल
3.	औसुडु (अ0जा0)	**विलियानुर कम्यून पंचायत (भाग)**–सेडारपेट, करासूर, थुथिपेट,थोंडामानाथम, रामानाथापुरम, पिल्लाईयार कुप्पम, कुडापाक्कम, उलावाइकल और औसुडु, **कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– 1 से 4
4.	मंगलम	**विलियानुर कम्यून पंचायत (भाग)**–अरियुर, किझूर, साथामंगलम, मंगलम, उरूवाईयार, थिरूकन्जी, पेरूंगालूर और मानाकुप्पम **कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– अरियापालायम बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) कोट्टामेडु बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) और कनुवापेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ)
5.	विलियानुर	**कुरूमबापेट ग्राम पंचायत (भाग)**– गरूवाप्पानाईकेनपालायम बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अरासुर बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), सुलतानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), विलियानुर बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), वाल्लुवानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), कारायानपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), पेरियापेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), उथिरावागिनिपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अट्टूवाईकालपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), थाट्टानचावाडी बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), मानावेली बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ), अरूमबारथापुरम बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) और ओडियामपेट बढ़ा हुआ क्षेत्र (आउट ग्रोथ) **पांडिचेरी नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 42
6.	ओझुकराई	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**–वार्ड सं0 31 से 33 और 37
7.	कादीरगामाम	**ओझुकराई नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 25 से 27, 35 और 36

8.	इंदिरा नगर	ओझुकराई नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 21 से 24 और 28 से 30
9.	थट्टानचावाडी	ओझुकराई नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 8, 18 से 20 और 34
10.	कामराज नगर	ओझुकराई नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 13 से 17
11.	लासपेट	ओझुकराई नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 7, 9 से 11
12.	कालापेट	ओझुकराई नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 1 से 6 और 12
13.	मथियालपेट	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**–वार्ड सं0 1 से 4 और 6 से 8
14.	राजभवन	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 5, 9 से 14 और 16
15.	औपालम	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 18 से 23
16.	ओरलिअमपेट	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 15, 17, 24 से 26, 28 और 32
17.	नेल्लीथोप	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 27, 29 से 31, 33 और 34
18.	मोडलियारपेट	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 35 से 38 और 40
19.	अरियांकुप्पम	पांडिचेरी नगर पालिका **(भाग)**– वार्ड सं0 39 और 41 **पांडिचेरी (न0पा0$ बढ़ा हुआ क्षेत्र) (ओ0जी0) (भाग)**– अरियांकुप्पम बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**ओ0जी0**)**, ककायानटोप बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**ओ0जी0**)**, और पेरियावीरामपट्टिनम बढ़ा हुआ क्षेत्र **(**ओ0जी0**)**

20.	मानावेली	**अरियांकुप्पम कम्यून पंचायत**—मानावेली, अबिशेगापाक्कम, तावालाकुप्पम, पुरनानकुप्पम और थिम्मानाईकेनपालायम ।
21.	एम्बालम (अ0जा0)	**नेट्टापाक्कम कम्यून पंचायत(भाग)**—एम्बालम, कोरकाडू और करिकालामपक्कम **बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**— अरंगानूर, किरूमाम, पक्कम, पिल्लाईआरकुम्पम और सेलिआमेडु ।
22.	नेट्टापक्कम (अ0जा0)	**नेट्टापक्कम कम्यून पंचायत (भाग)**—मदुक्कराई, करियामानिकम, इरिपक्कम, पांडासोझानुर और नेट्टापक्कम **बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**—पानायाडीकुप्पम, काराईयामबुथुर और मानामेडू ।
23.	बहौर	**बहौर कम्यून पंचायत (भाग)**—इरूलांसांडी, बहौर, ओटचीमेडू, पारिकालपेट, कुरूविनाथम, काडुवानुर और मनापट्टू ।

2—कराईकल क्षेत्र

24.	नेदुनगाडू (अ0जा0)	**नेदुनगाडू कम्यून पंचायत**—कुरूम्बागराम, पोनबेथी, पुठाकुडी, नेदुनगाडू और मेलाकासाकुडी, **कोट्टुचेरी कम्यून पंचायत**— वारिचिकुडी (उत्तर), पूवम, थिरूवेट्टाकुडी, वारिचिकुडी (दक्षिण) और कोट्टुचेरी ।
25.	तिरूनाल्लार	**तिरूनाल्लार कम्यून पंचायत**—अम्बागाराथुर, नाल्लाझुंडूर, थेवामापुरम, सोराकुडी] सुब्रायापुरम] कीझावूर, तिरूनाल्लार] थेन्नानकुडी, सेथुर, सेल्लूर और पेट्टाई ।
26.	कराईकल उत्तर	**कराईकल नगर पालिका (भाग)**—वार्ड सं0 1 से 5, 8 और 9
27.	कराईकल दक्षिण	**कराईकल नगर पालिका (भाग)**—वार्ड सं0 6, 7 और 10 से 17

28.	नेरावी–टी. आर. पट्टिनाम	**नेरावी कम्यून पंचायत**– विझीदियुर, कीझामानाई और नेरावी **तिरूमालाईरायान पट्टिनाम कम्यून पंचायत**– तिरूमालाईरायान पट्टिनाम, कीझाईयुर (उत्तर), कीझाईयुर (दक्षिण), पोलागम और वनजियुर **करराईकल नगर पालिका (भाग)**– वार्ड सं0 18

3–माहे क्षेत्र

29.	माहे	माहे नगर पालिका

4– यानाम क्षेत्र

30.	यानाम	यानाम नगर पालिका

<u>सारणी–ख</u>

संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
पंडिचेरी	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र

नोटः– सारणी ^क* में कम्यून पंचायत (सी0पी0), ग्राम पंचायत (जी0पी0), ग्राम, नगर पालिका (एम0), बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी) वार्ड अथवा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी भी संदर्भ का अभिप्राय उस कम्यून पंचायत (एम0), ग्राम पंचायत (जी0पी0), ग्राम, नगर पालिका (एम0), बढ़ा हुआ क्षेत्र (ओ0जी0), तथा वार्ड अथवा अन्य प्रादेशिक विभाजन के अन्तर्गत मार्च मास के 30 वें दिन को सम्मिलित क्षेत्र माना जाएगा ।

कुलदीप सिंह, अध्यक्ष

बी0बी0 टण्डन, सदस्य

आर0 नारायन, सदस्य

आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव
परिसीमन आयोग

भारत के राजपत्र, भाग–II, खण्ड–3(iii) के असाधारण अंक में तारीख 8 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशनार्थ ।
संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के राजपत्र के असाधारण अंक में तारीख 8 अक्तूबर,2004 को प्रकाशनार्थ ।

परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

सं0 282/पाण्डिचेरी/2004 तारीखः– 8 अक्तूबर, 2004

16आश्विन,1926 (शक)

आदेश से

परिसीमन अधिनियम,2002 (2002 का 33) की धारा 8 के अनुसरण में, परिसीमन आयोग संघ राज्य–क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और 39 और परिसीमन अधिनियम,2002 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के सम्बन्ध में, एतद्द्वारा यह नियत करता है :–

(क) लोक सभा में पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को आवंटित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 30 होगी;

(ख) लोक सभा में पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को इस प्रकार आवंटित कुल 1 (एक) स्थान की संख्या में से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या शून्य होगी;

(ग) पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा को नियत किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 30 (तीस) होगी;

(घ) पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा को इस प्रकार नियत 30 (तीस) स्थानों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः 5 (पांच) और शून्य होगी ।

आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव
परिसमीन आयोग

भारत के राजपत्र, भाग–II, खण्ड–3(iii) के असाधारण अंक में तारीख 8 अक्तूबर, 2004, को प्रकाशनार्थ ।
संघ राज्य–क्षेत्र पाण्डिचेरी के राजपत्र के असाधारण अंक में तारीख 8 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशनार्थ ।

परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

सं0 282/पाण्डिचेरी/2004.09.23 तारीखः– 8 अक्तूबर, 2004
16 आश्विन,1926 (शक)

अधिसूचना

संख्या 282/पाण्डिचेरी/2004 –परिसीमन अधिनियम,2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए सहयुक्त सदस्यों के विसम्मत प्रस्तावों के साथ एतद्द्वारा अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है तथा 2004 की उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसकी अथवा जिसके पश्चात् वह उक्त प्रस्तावों पर आगे विचार करेगा ;

2. इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 के पास उक्त तारीख तक या उस से पूर्व पहुंच जाना चाहिए ।

प्रस्ताव

(I) वे प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र जिनमें पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र को (क) संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा तथा (ख) लोक सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विभक्त किया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित ऐसे प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार वह होगा जो क्रमशः तालिका (क) और (ख) में दर्शाए अनुसार होगा ।

(II) जहॉ सारणी (क) में यथा दर्शित किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम कोष्ठकों और (अ0जा0) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है, वहॉ उस निर्वाचन–क्षेत्र में का स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है ; तथा

(।।।) जहॉ सारणी (क) अथवा (ख) में यथादर्शित निर्वाचन–क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और (अ0ज0जा0) शब्दों द्वारा भेद दिखाया गया है, वहॉ उस निर्वाचन–क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ।

(संलग्न सामग्री को यहॉ छापें)

आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव
भारत परिसीमन आयोग

परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

सं0 282/पाण्डिचेरी/2004 तारीखः– सितम्बर,2004

सूचना

परिसीमन आयोग ने भारत के राजपत्र, असाधारण और पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र के राजपत्र दोनों में तारीख 2004 के द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र में लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से उस संघ राज्य–क्षेत्र की संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं । आयोग उसके सम्बन्ध में आक्षेप और

2. राजपत्र की प्रतियां संदर्भ के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पाण्डिचेरी संघ राज्य–क्षेत्र और संघ राज्य–क्षेत्र के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं ।

3. इस प्रस्तावों पर आक्षेप और सुझाव तारीख 2004 को या उसके पूर्व सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001 को पहुंच जाने चहिए । इन पर आयोग संघ राज्य–क्षेत्र की सार्वजनिक बैठकों में नियत किए गए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विचार किया जाएगा ।

सर्वनजिक सुनवाई के लिए समय तथा तारीख	स्थान और कार्यस्थल	क्षेत्र के आदेश जिन पर प्रस्तावों की सुनवाई होगी
3/11/2004 11.00 पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न	प्रशिक्षण कक्ष, तृतीय तल, इरूंथालैवर कामराज, प्रशासनिक काम्प्लैक्स, नागोर रोड, नजदीक मडाजादी, कारैकल–609602	कारैकल
4/11/2004 11.00 पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न	सभा कक्ष, तृतीय तल, मुख्य सचिवालय गोउबेर्ट एवेन्यू (बिच रोड), पांडिचेरीस–605001	पंडिचेरी महे यानम

आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव
परिसीमन आयोग